IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 5, June 2023

सिंगरौली जिले में अपराध के नियंत्रण में पुलिस की भूमिका

नागेन्द्र प्रताप सिंह
शोधार्थी, शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)
डॉ. महानन्द द्विवेदी
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, शास. शहीद केदारनाथ महाविद्यालय मऊगंज, जिला रीवा (म.प्र.)

शोध–सारांशः

वर्तमान में पुलिस की भूमिका समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा अलग–अलग रूपों में प्रदर्शित की जाती है–बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक समूह, शासक और शासित वर्ग, सम्पन्न, भूमिस्वामी और भूमिहीन श्रमिक, मिल मालिक व मजदूर, शोषक व शोषित वर्ग, धनी व निर्धन वर्ग आदि सभी वर्गों द्वारा पुलिस के स्वरूप की परिकल्पना विभिन्न तरीकों से की गई है जिसमें प्रत्येक वर्ग द्वारा प्रस्तुत परिकल्पना में उसका निजी दृष्टिकोण निहित होता है। कानून लागू करवाने वाली संस्था, सरकार की कार्यपालिका को मजबूती प्रदान करने वाली संस्था, नागरिकों की सुरक्षा, अधिकारों व स्वतंत्रता के संरक्षक, समाजसेवी संस्था, राजनैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला राजतंत्र आदि भूमिकाओं के रूप में पुलिस संस्था अपेक्षित है। स्वाधीन भारत में वास्तविक रूप में पुलिस की संरचना, कार्यप्रणाली, उपकरण, प्रशिक्षण, दर्शन तथा व्यवहार में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो पाया है। साथ ही वास्तविक और अपेक्षित भूमिका के बीच बहुत अंतर है पुलिस को न ही समाज की नवीन चुनौतियों के समक्ष नवीन भूमिकाओं के निर्वहन के अनुरूप बनाने का प्रयत्न हो पाया है और न उनके कार्यकारी परिस्थितियों, मनोवृत्तियों, दर्शन तथा आवश्यक साधनों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन हो पाए हैं। यही कारण है कि पुलिस जनता के अपेक्षित भूमिका के निर्वहन में असमर्थ रही है, इन्हीं बिन्दुओं को इस शोध पत्र में शामिल करने का एक प्रयास है।

मुख्य शब्दः सिंगरौली, अपराध, नियंत्रण, पुलिस, कार्यप्रणाली, उपकरण प्रशिक्षण, व्यवहार, भूमिका, स्वतंत्रता, संरक्षक आदि।

प्रस्तावनाः

वर्तमान परिवर्तित भारतीय समाज में पुलिस संगठन को समाज की सुरक्षा, कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराध व अपराधिक गतिविधियों में नियंत्रण के साथ–साथ जनकल्याण संबंधी गतिविधियों के सफल संचालन व इस कार्य में आने वाली रुकावट को दूर करने जैसे दायित्वों को भी सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त समाज के विशिष्ट व अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा, विशेष परिस्थितियों जैसे बंद, हड़ताल, जुलूस आदि गतिविधियों में पुलिस व्यवस्था अपना अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान देती है। इन सभी दायित्वों के निर्वहन के बाद भी आम जनता द्वारा पुलिस पर कर्तव्यविमुखता का आरोप लगाया जाता है। समाज के प्रत्येक वर्ग द्वारा पुलिस को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और उसकी दृष्टि में पुलिस का केवल दमनकारी स्वरूप ही सामने आता है। उसके प्रत्येक कार्य को संदेहात्मक माना जाता है। शासन के प्रभावशाली एंग से क्रियान्वयन के लिए अनेक संगठन उत्तरदायी हैं जिनमें से पुलिस प्रशासन भी एक ऐसा ही संगठन है जिसकी कार्यवाही समाज के हित से जुड़ी होती है। पुलिस समाज के द्वारा ही बनाई गई एक ऐसी संस्था है जो विधि के नियमों का पालन करते हुए देश भक्ति, समाज सेवा तथा मानव सेवा जैसे उच्चादर्शों की स्थापना के लक्ष्य के अंतर्गत कार्य करती है। वर्तमान परिस्थितियों में समाज में बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती बेरोजगारी के कारण बढ़ती आपराधिक गतिविधियाँ, बढ़ते आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी अलगाववादी शक्तियाँ, धार्मिक उन्माद से भरी गतिविधियाँ आदि ने पुलिस के कार्यों और उसकी समाज में भूमिका को नए आयाम प्रदान किये हैं। इन नवीनतम चुनौतियों एवं समस्याओं से भी वे रूबरू हो रहे हैं। परिवर्तित सामाजिक एवं औद्योगीकरण में तीव्रता, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति की होड़, अधिक धन प्राप्ति की लालसा ने समाज में अपराधों को न केवल बढ़ाया बल्कि उसे तीव्र गति भी प्रदान की। साथ ही जन चेतना में जागरूकता के कारण जनता जनार्दन का ध्यान राजनैतिक व्यवस्था की प्रत्येक गतिविधि पर रहने लगा। परिणामस्वरूप आंदोलन, रैली हड़ताल जैसे क्रियाकलापों में वृद्धि होने लगी। इस प्रकार एक ओर तो पुलिस संगठन को उनके पारम्परिक उत्तरदायित्व जैसे अपराध नियंत्रण व शांति व्यवस्था को बनाए रखने जैसे कार्यों का निर्वहन करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर उपर्युक्त क्रियाकलापों के प्रतिकूल प्रभावों से जनता को सुरक्षित कर उनके कल्याण की गतिविधियों में आने वाली रुकावटों को हटाने की भी जिम्मेदारी आ गई। इन नित नई चुनौतियों का सामना अपनी कर्तव्यनिष्ठता के साथ करते हुए पुलिस कर्मी स्वयं की अनेक व्यक्तिगत समस्याओं से जूझते हुए

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 5, June 2023

भी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते रहते हैं, किन्तु इसके बाद भी उन्हें जनता के सहयोग की अपेक्षा, आक्रोश एवं असंतोष का सामना करना पड़ता है।

पुलिस समाज द्वारा निर्मित एक संस्था ही है जिसके निर्माण का उद्देश्य समाज के नियंत्रण से था। पुलिस में समाज में रहने वाली व्यक्ति ही होते हैं जो समाज के अन्य व्यक्तियों से थोड़ा अलग वर्दी में रहते हैं और उन्हें सामाजिक नियंत्रण से संबंधित अधिकार समाज के द्वारा निर्मित कानूनों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। विधि द्वारा निर्मित कानून में पुलिस संगठन में कार्यरत पुलिस कर्मचारी के समान ही अनेक कानूनी स्थलों में जनता को भी समाजिक नियंत्रण संबंधी समान अधिकार प्राप्त हैं। उदाहरण स्वरूप कोई ऐसा अपराधी जिसकी जमानत न हो सकती हो, फरार हो, उसे जनसामान्य गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले कर सकता है। यहाँ इस तथ्य का विशेष पहलू यह है कि जब समाज में प्रत्येक जन को सामाजिक नियंत्रण संबंधी अधिकार प्राप्त हैं तो समाज के अपराध नियंत्रण का उत्तरदायी केवल पुलिस को ही क्यों समझा जाता है ? इस कार्य में जनता पुलिस से अधिक अपेक्षा रखते हुए अपने उत्तरदायित्वों का, अपने अधकारों का, समाज में नियंत्रण संबंधी कार्यों का निर्वहन क्यों नहीं करती ?

भारतवर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती समस्याओं के संदर्भ में यह सत्य है कि इन समस्याओं का समाधान सरकार द्वारा समय–समय पर बनाई जाने वाली व्यवस्थाओं एवं नियमों द्वारा नहीं हो सकता। यथार्थ में यदि इन व्यवस्थाओं, नियमों एवं कानूनों का पालन जनसामान्य द्वारा विधिवत किया जाय तो समाज अपराध मुक्त ही नहीं होगा, बल्कि कानून व्यवस्था भी बनी रहेगी। एक लोकहितकारी प्रजातांत्रिक राज्य में, राज्य के कानून और नियमों का पालन करना जनता का मूल दायित्व व कर्तव्य है, क्योंकि इसका निर्माण जनता के बहुमत से ही हुआ है और ये लोकतंत्र के प्रतीक है। यदि सरकार को जनसामान्य का पूर्ण सहयोग व विश्वास प्राप्त हो, तो निश्चित ही यह कहा जा सकता है कि समाज में व्याप्त आर्थिक, राजनैतिक व सामाजिक समस्याओं का निवारण बहुत कम समय में आसानी से किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश राज्य के रीवा संभाग के 4 जिलों में से एक जिला सिंगरौली है। सिंगरौली जिले के तहसील स्थित बैढ़न में जिला कलेक्टर एवं जिले के अन्य सभी कार्यालय हैं। जिले के विभिन्न विकास कार्यों की मॉनीटरिंग एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए तीन डिप्टी कलेक्टर स्तर का अधिकारी नियुक्त है। सिंगरौली जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 05 तहसीलों तथा 05 विकासखण्डों में विभक्त किया गया है। तहसीलों के मुख्यालय में तहसीलदार बैठता है, जो रेवेन्यू से सम्बन्धित विवादों का निपटारा करता है। इसी तरह प्रत्येक विकासखण्ड में एक विकासखण्ड अधिकारी एवं जनपद पंचायत के कार्यों के सुचारू संचालन हेतु प्रत्येक विकासखण्ड में एक–एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सी.ई.ओ.) पदस्थ है। सम्पूर्ण जिले को 09 राजस्व निरीक्षक मण्डल 170 पटवारी हल्कों में बाटा गया है। शांति व्यवस्था एवं अमन चैन के लिए 03 अनुविभागीय अधिकारी तथा 09 आरक्षी केन्द्रों का गठन किया गया है।

जनसंख्या का किसी भी क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण स्थान होता है। जनसंख्या की दृष्टि से सिंगरौली जिले का मध्यप्रदेश में 27वाँ स्थान है। इस जिले में राज्य की कुल जनसंख्या का 1.61 प्रतिशत भाग निवास करता है। जबकि यह प्रतिशत 1991 में 3.03 प्रतिशत था। यह अंतर सीधी एवं सिंगरौली जिले के विभाजन के कारण दर्ज किया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सिंगरौली जिले की कुल जनसंख्या 919570 थी, जिसमें 478604 पुरुष एवं 440913 महिलाएँ थीं एवं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 1178272 थी, जिसमें 613637 पुरुष एवं 564635 महिलाएँ हैं। इस प्रकार वर्ष 2001 से 2011 में जिले की जनसंख्या में 28.05 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से राज्य में इस जिले का तीसरा स्थान है, जिसमें प्रथम व द्वितीय स्थान पर क्रमशः इन्दौर व भोपाल जिले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सिंगरौली जिले में 36.02 प्रतिशत आदिवासी वर्ग के लोग एवं 12.32 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग आबाद थे। इस तरह जिले की कुल जनसंख्या में 48 प्रतिशत भाग इन दो वर्गों के लोगों का है। साक्षरता की दृष्टि से राज्य में सबसे कम साक्षरता दर वाले जिलों में सिंगरौली का पाँचवा स्थान आता है। सबसे कम साक्षरता वाले जिले झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर, धार व सिंगरौली हैं। सिंगरौली जिले में साक्षरता का प्रतिशत 47.83 है, जो राज्य की साक्षरता (64.11 प्रतिशत) से काफी पीछे है। जिले में पुरुष साक्षरता 63.18 प्रतिशत है। राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता वाले जिलों में सिंगरौली का चौथा स्थान (30.04) है, जबकि राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत 50.28 है। सिंगरौली जिले में जनसंख्या घनत्व 208 है। वर्ष 2008 के पूर्व तक सिंगरौली जिला सीधी जिले का एक तहसील मुख्यालय था। सिंगरौली जिले का गठन सीधी जिले की देवसर, चितरंगी, माड़ा, सरई एवं सिंगरौली तहसीलों से मिलकर बना है।

शोध के क्षेत्र को परिसीमित करने हेतु अनुसंधान में भी जनसंख्या समष्टि एवं न्यादर्श की परिभाषा एवं विधि का स्पष्टीकरण किया जाता है। न्यादर्श चयन की जो विधियां अन्य अनुसंधानों में प्रयोग में लाई जाती है उन सबका प्रयोग वर्णनात्मक अनुसंधान में भी किया जाता है। वान डालेन ने वर्णनात्मक अनुसंधान के तीन प्रकारों सर्वेक्षण अध्ययन, अन्तर्सम्बधात्मक, विकासात्मक अध्ययन का उल्लेख किया है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 5, June 2023

शोधार्थी द्वारा प्रस्तावित शोध वर्णनात्मक अनुसंधान (सर्वेक्षण अध्ययन) के अन्तर्गत आता है। सर्वेक्षण उपागम एक प्रदत्त को एकत्रित करने और विश्लेषण करने की विधि है, जो बहुत से ऐसे उत्तर देने वालों द्वारा संकलित किया जाता है, जो एक सुनिश्चित जन समुदाय के प्रतिनिधि है। यह प्रदत्त बहुत ही अधिक संरचित और विस्तृत प्रश्नावली अथवा साक्षात्कार से उपलब्ध किया गया है। अनुसंधान का उद्देश्य सामान्यतया उस जन समुदाय का वर्णन करने में होता है जिसका वह अध्ययन कर रहा है।

कार्यक्षेत्र प्रदत्तों के संग्रहीकरण एवं सारणीबद्ध करने के अतिरिक्त व्याख्या, तुलना, मापन, वर्गीकरण, मूल्यांकन तथा सामान्यीकरण भी होता है। इन सभी का प्रयोग महत्वपूर्ण समस्याओं के समझने व उनका निराकरण करने के लिए किया जाना चाहिए, इसके द्वारा प्राप्त जानकारी प्रशासकों, शिक्षकों शैक्षिक नियोजनकर्ताओं आदि के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। उपयोगी सर्वेक्षण अध्ययनों में शोधकार्य को अधिक तर्क संगत बनाने के उददेश्य से इस सर्वेक्षण अध्ययन में मुख्य रूप से न्यादर्श सर्वेक्षण किया गया है। अधिकांश सर्वेक्षण पूर्ण जनसंख्या पर न होकर उसके विधिवत चयनित अंश पर किये जाते हैं जिसे न्यादर्श कहते हैं। उपयुक्त न्यादर्श पर किये गये से पूर्ण जनसंख्या के बारे में विश्वास पूर्वक सामान्यीकरण किया जाता जा सकता है। इसके प्रयोग से समय ,धन और ऊर्जा की बचत होती है। शोधार्थी ने न्यादर्शो के चयन में यादृच्छित न्यादर्श विधि का प्रयोग किया है इस प्रविधि के अर्न्तगत सम्पूर्ण जनसंख्या की प्रत्येक इकाई को चुने जाने के समान अवसर होते है। एक सरल यादृच्छिक न्यादर्श एक एक इकाई को लेकर उद्धृत किया जाता है।

शोधार्थी ने अपने शोधकार्य में न्यादर्शों के चयन हेतु यह ध्यान रखा है कि चयनित न्यादर्श अच्छा हो। इसलिए उसका यह प्रयास रहा कि उसके न्यादर्श में पुनरूत्पादन अभिनति न हो तथा यादृच्छिक न्यादर्श त्रुटिहीन हो। शोध अध्ययन के विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए पूरा किया है।

अनुसंधान के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता अध्ययन विषय से सम्बन्धित सामाजिक तथ्यों का संकलन है। अनुसंधानकर्ता इन तथ्यों को विभिन्न सूचना स्त्रोतों से एकत्रित करता है। संकलन के स्त्रोतों को दो भागों प्राथमिक स्त्रोत एवं द्वितीयक स्त्रोत में विभाजित किया जा सकता है।

प्राथमिक स्त्रोत के अन्तर्गत अनुसंधानकर्ता अध्ययन विषय से सम्बन्धित घटनाओं को स्वयं देख–सुनकर अर्थात् निरीक्षण कर और सम्बन्धित व्यक्तियों से मिलकर तथा उनसे बातचीत कर तथ्य एकत्रित करता है। इसके लिए सर्वेक्षण एवं साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता ने अपने विषय से सम्बधित उत्तरदाताओं से साक्षात्कार तथा प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा सामग्री संकलन किया है।

द्वितीयक स्त्रोत के अन्तर्गत अनुसंधानकर्ता अध्ययन विषय से सम्बन्धित लिखित प्रलेखों का अध्ययन कर तथ्यों को एकत्रित करता है। द्वितीयक स्त्रोतों की सहायता से केवल भूतकालीन तथ्यों की जानकरी प्राप्त की जा सकती है। द्वितीयक स्त्रोतों के अंतर्गत व्यक्तिगत प्रलेख जैसे पत्र, डायरी, जीवन इतिहास आदि सार्वजनिक प्रलेख जैसे सरकारी और गैर–सरकारी संस्थाओं की सर्वेक्षण रिपोर्ट, समितियों तथा आयोगों की रिपोर्ट, शिलालेख, पत्र–पत्रिकाओं आदि के माध्यम से अनुसन्धानकर्ता ने अपने विषय से सम्बन्धित ऐसे द्वितीयक तथ्य एकत्रित किया है, ये व्यक्तियों द्वारा लिखित होते हैं, इसलिए उनके प्रयोग के समय इनकी सत्यता के बारे में सावधानीपूर्वक जाँच करने के बाद ही प्रयोग में लाया गया है। द्वितीयक तथ्य वे सूचनायें या आकड़े हैं, जो कि अनुसन्धानकर्ता को प्रकाशित, अप्रकाशित, प्रलेखों, रिपोर्ट, सांख्यिकी, पाण्डुलिपि आदि से प्राप्त होती है। द्वितीयक तथ्य की विशेषता यह है कि ये तथ्य स्वयं अनुसन्धानकर्ता द्वारा एकत्र किये हुए नहीं होते हैं, किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा संकलित किये होते हैं।

द्वितीयक तथ्यों के संकलन के एक स्त्रोत के रूप में जनसंख्या सम्बन्धी आकड़ों का अत्यधिक महत्व होता है। भारतवर्ष में प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना का आयोजन करके सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में सूचनायें एकत्रित की जाती हैं, जो शोधकार्य में अत्यन्त महत्वपूर्ण होती हैं। प्रस्तुत अध्ययन में सिंगरौली जिले की कुल जनसंख्या, जनसंख्या का घनत्व, पुरुष एवं स्त्रियों की संख्या आदि सांख्यिकीय आंकड़े को प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से 2011 के संदर्भ में भारत सरकार की जनगणना रिपोर्ट, मध्य प्रदेश वार्षिकी, रिपोर्ट का प्रयोग किया गया है।

विभिन्न सरकारी और गैर–सरकारी संस्थाएँ जब प्राथमिक रूप से तथ्यों का संकलन करके उन्हें जन–सामान्य के उपयोग के लिए प्रकाशित कर देती हैं तो ये ही प्रकाशित प्रलेख आगामी शोध कार्यों के लिए तथ्य संकलन के द्वितीयक स्त्रोत बन जाते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित प्रकाशित प्रलेखों का प्रयोग किया गया है जिसमें विभिन्न समितियों तथा आयोगों का प्रतिवेदन, पत्र–पत्रिकाओं की रिपोर्ट एवं अन्य प्रकाशित एवं अप्रकाशित लेखों का प्रयोग किया गया है। अप्रकाशित लेख को अध्ययन के लिए प्रयुक्त किया गया है।

गुड तथा हैट के अनुसार–''अनुसूची उन प्रश्नों के एक समूह का नाम है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से आमने–सामने की स्थिति में पूछें और भरे जाते है।'' अनुसूची अध्ययन के लिए तथ्य एकत्रित करने की सर्वाधिक प्रचलित

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 5, June 2023

प्रणाली है। यह स्पष्ट रूप से औपचारिक प्रलेख हो सकती है। जिसमें आकर्षण की अपेक्षा कुशल क्षेत्र संचालन ही उद्देश्य में कार्यरत विचार है। अनुसूची का प्राथमिक उद्देश्य प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से ऐसे तथ्यों को एकत्रित करना है जो कि अध्ययन विषय की वास्तविकता को प्रगट करें। अनुसूची का उद्देश्य वर्गीकरण, सारणीयन विश्लेषण व व्याख्या के कार्य को सरल बनाना भी है।

एक उत्तम अनुसूची में भाषा इतनी सरल, सुस्पष्ट भ्रम रहित तथा एक अर्थात् होती है जिससे किसी के लिए उसके वास्तविक अर्थ को समझने में किसी प्रकार का कष्ट न हो। अनुसूचियों के निर्माण में प्राथमिक महत्त्व शुद्धता, निश्चितता, प्रश्नों की सरलता और आत्मचेतनात्मक मूल्य निरूपण की संभावनाओं से मुक्ति पर दिया जाता है।

साक्षात्कार प्रविधि के विषय में प्रोफेसन आल्फोट का मत है कि ''यदि हम यह जानना चाहते हैं कि लोग क्या महसूस करते है? क्या अनुभव करते है? और क्या याद रखते है? उनकी भावनायें और उनके उद्देश्य क्या हैं? तो उनसे स्वयं क्यों नहीं पूछते'' साक्षात्कार प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता के मध्य महज एक वार्तालाप नहीं होता। साक्षात्कार लेने वाले के लिए शब्द ही नहीं, सूचनादाता का व्यवहार जैसे स्वर का उतार–चढाव, वाक्–दर उच्चारण की कठिनाई सभी महत्वपूर्ण है। एक अन्तर्भेदी दृष्टि निपेक्ष भीतर के विचारों को निकलवा लेता है। यह एक अनुभव जन्य तथ्य है। तथ्यों के संकलन की दृष्टि से साक्षात्कार उपयुक्त विधि है।

साक्षात्कार प्रविधि में अनुसंधानकर्ता अपनी अध्ययन वस्तु मनुष्य से आमने–सामने के सम्बन्ध स्थापित कर वार्तालाप करता हैं और इस प्रकार मनुष्य की भावनाओं और मनोवृत्तियों का क्रमबद्ध अध्ययन कर सकता है। साक्षात्कार के माध्यम से जिस गहराई से किसी व्यक्ति की मानसिकता तथा उसके मनोभाव को समझा जा सकता है। किसी अन्य प्रविधि द्वारा यह संभव नहीं हो पाता है। एक साक्षात्कार को कुछ बिन्दुओं पर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन कहा जा सकता है।

मैकोबी तथा मैकोबी का कथन है कि–''साक्षात्कार का अर्थ आमने– सामने मौखिक विचारों का आदान प्रदान है, जिसमें साक्षात्कर्त्ता सह प्रयास करता है कि दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों से उनके विश्वासें, मतों और विचारों की सूचना प्राप्त कर लें।''

विज्ञान अवलोकन से प्रारम्भ होता है तथा उसे अंतिम वैधता के लिए आवश्यक रूप से अवलोकन पर ही वापस आना पड़ता है। निरीक्षण का अर्थ भौतिक ऑख से देखना और मस्तिष्क द्वारा विचारपूर्ण समझने से है। निरीक्षण एक सुव्यवस्थित पद्धति से दृष्टिपात करना और मनन द्वारा देखी गई वस्तु के वास्तविक स्वरूप का विचार करना है।

अनुसूची की सहायता से साक्षात्कार पद्धति और अवलोकन साथ–साथ चल सकता है। इस अध्ययन में शोधार्थी ने उपयुक्त प्रविधि को अपनाकर उद्देश्यपूर्ण और वास्तविकता को ध्यान में रखकर तथ्यपूर्ण सामग्री एकत्रित की। प्रस्तुत अध्ययन में समंक संकलन हेतु दोनों प्रकार के स्रोतों का सहारा लिया गया है। शोध के क्षेत्र को परिसीमित करते हेतु इस अनुसंधान में भी जनसंख्या समष्टि एवं न्यादर्श की परिभाषा एवं विधि का स्पष्टीकरण किया जाता है।[1] न्यादर्श चयन की जो विधियां अन्य अनुसंधानों में प्रयोग में लाई जाती है उन सबका प्रयोग वर्णनात्मक अनुसंधान में भी किया जाता है। जिसके तीन चरण क्रमशः–सर्वेक्षण अध्ययन, अन्तर्सम्बर्धात्मक और विकासात्मक अध्ययन माने जाते हैं।

शोधार्थी द्वारा प्रस्तावित शोध वर्णनात्मक अनुसंधान सर्वेक्षण अध्ययन के अन्तर्गत आता है। सर्वेक्षण उपागम एक प्रदत्त को एकत्रित करने और विश्लेषण करने की विधि है जो बहुत से ऐसे उत्तर देने वालों द्वारा संकलित किया जाता है जो एक सुनिश्चित जन समुदाय को प्रतिनिधि है। यह प्रदत्त बहुत ही अधिक संरचित और विस्तृत प्रश्नावली अथवा साक्षात्कार से उपलब्ध किया जाता है।[2] अनुसंधान का उद्देश्य सामान्यता उस जन समुदाय का वर्णन करने में होता है जिसका वह अध्ययन कर रहा है। सर्वेक्षण अध्ययनों में निम्नलिखित चार प्रकार की जानकारी एकत्र की जाती है–

- वर्तमान परिस्थिति के महत्वपूर्ण पक्षों का अध्ययन और विश्लेषण करके प्रस्तुत स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी।
- अन्यत्र विद्यमान दशाओं के अध्ययन द्वारा अथवा विशेषज्ञ किस प्रकार की स्थिति को वांछनीय समझता है यह जानकर लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करके यह निर्धारित करना कि हम किस प्रकार की परिस्थिति चाहते है?
- दूसरे व्यक्तियों के अनुभवों या विशेषज्ञों की राय के आधार पर लक्ष्यों को प्राप्त करने के संभावित साधनों की खोज करना।
- इस प्रकार आदर्श मूलक सर्वेक्षण अनुसंधान क्या विद्यमान है? हमें किसकी आवश्यकता है? तथा उसे कैसे प्राप्त किया जाय? सूचना का संकलन करता है इसलिए अनुसंधान का यह प्रकार अत्यधिक प्रयोजनात्मक है।

शोधार्थी ने न्यादर्शो के चयन में यादृच्छित न्यादर्श विधि का प्रयोग किया है इस प्रविधि के अर्न्तगत सम्पूर्ण जनसंख्या की प्रत्येक इकाई को चुने जाने के समान अवसर होते है। एक सरल यादृच्छिक न्यादर्श एक एक इकाई को लेकर उद्धृत किया जाता है।[3]

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 5, June 2023

शोधार्थी ने अपने शोधकार्य में न्यादर्शों के चयन हेतु यह ध्यान रखा है कि चयनित न्यादर्श अच्छा हो। इसलिए उसका यह प्रयास रहा कि उसके न्यादर्श में पुनरुत्पादन अभिनति न हो तथा यादृच्छिक न्यादर्श त्रुटिहीन हो। इसके साथ ही साथ शोधार्थी ने न्यादर्श का चुनाव करते समय निम्नलिखित सावधानी भी रखी है–

- न्यादर्श की इकाइयों का जानबूझकर चयन नहीं किया गया।
- चयन की ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाई गयी जिसमें विचाराधीन विशेषता तथा चयन के मध्य कोई सम्बन्ध हो।
- एक इकाई के स्थान पर अन्य अधिक सुविधाजनक इकाई को स्थापन्न नहीं किया गया।
- अध्ययन के लिए चुनी गयी इकाइयों का अपूर्ण या अनुपयुक्त संग्रह न कर शोधार्थी ने इनका पूर्ण तथा उपयुक्त संग्रह किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन को रूपाकार करने के लिये शोधार्थी ने शोध अध्ययन के विविध आयामों का सहारा लिया है जिसमें अभिलेख अध्ययन सहित अन्य प्रमुख हैं।

पुलिस के प्रति समाज की अभिवृत्तियों के संबंध में तथ्य एकत्रित करने के लिए जनता के विभिन्न वर्गों के 300 लोगों का साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से लिया गया है। इनका चयन भी सविचार (उद्देश्यपूर्ण) निदर्शन प्रणाली के माध्यम से किया गया है। जिनका विवरण इस प्रकार प्रस्तुत है–

तालिका क्रमांक 1 अध्ययन की चयनित इकाईयाँ

वर्ग	चयनित इकाईयाँ
अध्यापक	30
अधिवक्ता	30
चिकित्सक	30
पत्रकार	30
छात्र	30
जनप्रतिधि	30
व्यवसायी	30
कृषक	30
पंचायतकर्मी	30
श्रमिक	30
योग	**300**

उपरोक्तानुसार चयनित प्रदर्शों में समाज के सभी वर्गों– अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, सामान्य तथा व्यावसायिक दृष्टि से अध्यापकों, अधिवक्ता, चिकित्सक, पत्रकार, छात्र, जनप्रतिधियों, व्यवसाइयों, कृषकों, पंचायत कर्मियों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा गया है।

उपरोक्तानुसार सिंति को आरेखों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है।

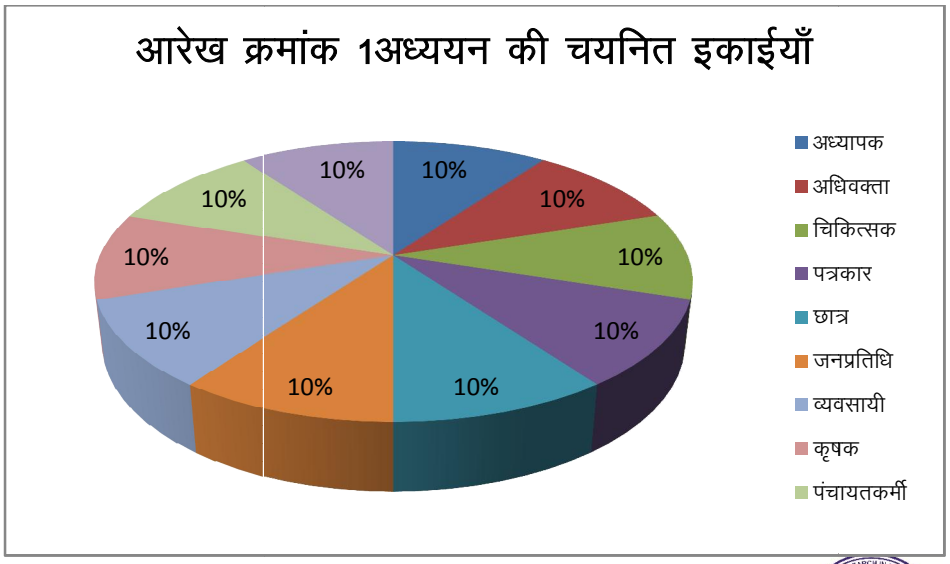

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 5, June 2023

पुलिस की छवि

'छवि अंग्रेजी भाषा प्रतिबिम्ब', आकार, छाया, सादृश्य का हिन्दी पर्यायवाची है। इसका अर्थ है। व्यक्ति के संदर्भ में 'छवि' उसे प्रतिबिम्बित करती है। जैसे ही हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं, उसकी एक छवि का निर्माण कर लेते हैं। प्रथम बार हम उस व्यक्ति से किस तरह व्यवहार करेंगे, यह इसी छवि पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में यह प्राथमिक छवि ही पारस्परिक व्यवहार के घटित होने का आरम्भ मानी जा सकती है। इस छवि के निर्माण में हम व्यक्ति की क्रियाएँ, उसकी आवाज तथा गतियों और अपने तथा अन्य वस्तुओं के प्रति की गई प्रतिक्रियाओं को देखते हैं। इस सूचना को हम उस व्यक्ति की विशेषताओं के बारे में निर्णय करने का आधार बनाते हैं तथा उसकी आवश्यकताओं एवं लक्ष्यों का अनुमान लगाते हैं। इसी प्रकार अन्य व्यक्ति भी हमारे बारे में छवि बनाते हैं और तद्नुसार हमारे साथ व्यवहार करते हैं।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए वह विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेता है। किसी भी सामाजिक अन्तःक्रिया में मनुष्य आवश्यक रूप से अन्य व्यक्तियों के सम्पर्क में आता है। यह सम्पर्क अल्पकालिक या दीर्घकालिक हो सकता है। परन्तु वह सम्पर्क में आये हुए व्यक्ति को देखकर उसे समझने का प्रयास करता है। उस व्यक्ति के साथ होने वाली उसकी अन्तक्रिया काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि वह उस व्यक्ति को किस तरह समझता है और किस रूप में उसका प्रत्यक्षीकरण करता है। इस तरह व्यक्ति एक निश्चित शारीरिक आकार–प्रकार वाला एक भौतिक पदार्थ मात्र नहीं होता है। शारीरिक विशेषताओं के साथ–साथ उसमें बहुत सी अन्य विशेषताएँ जैसे– बुद्धि, सहयोग, उदारता इत्यादि भी विद्यमान रहती हैं।

कानून और व्यवस्था को बनाये रखने एवं नियन्त्रित करने वाला संगठन पुलिस है। पुलिस संगठन राज्य की अन्तरंग सरकार है। आधुनिक समय में पुलिस संगठन नागरिक अधिकारियों का वह समूह है, जिसका मुख्य कार्य शान्ति और व्यवस्था स्थापित करना, अपराधों की रोकथाम करना तथा कानूनों को लागू करना है। पाश्चात्य देशों में हर नागरिक यह अपेक्षा करता है कि पुलिस अधिकारियों में सालोमन जैसी विद्वता, डेविड जैसा साहस, सेमसन जैसा बल, जेकब जैसा धैर्य, मोजज जैसा नेतृत्व, सेमेरिटन जैसी दयालुता, अलेकजेंडर जैसा सामरिक प्रशिक्षण, डेनियम जैसा विश्वास, लिंकन जैसी कूटनीति, नाजरेथ जैसी सहनशीलता होनी चाहिये। कहा जाता है कि ब्रिटिश (स्काटलैण्ड यार्ड) पुलिस ने इन विशेषताओं को कुछ हद तक प्राप्त कर लिया है, किन्तु भारत की पुलिस इस कसौटी पर अभी बहुत पीछे है। भारत की पौराणिक गाथाओं में हनुमान की भूमिका को हम एक आर्दश पुलिस जन के लिये मार्गदर्शक मान सकते हैं। हनुमान राम (राज्य) के प्रति पूर्ण निष्ठावान हैं। वे अतुलित बल के धाम हैं, सोने के पर्वत के समान कान्तियुक्त शरीर वाले हैं, दैत्यरूपी (अपराधी जगत) को ध्वन्स करने के लिये अग्निरूप हैं, वे ज्ञानियों में अग्रणी हैं, सम्पूर्ण गुणों से युक्त हैं, वानरों के स्वामी है ये विनम्र हैं, राज्य–कार्य पूर्ण किये बिना उन्हें विश्राम का भी समय नहीं है। तुलसी के शब्दों में हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ड प्रनाम राम काजु कीन्हें बिनु मोहि कड़ा विश्राम पुलिस युक्त एक दिन में आज्ञाकारी, निष्ठावान, बुद्धिमान साहसी और किन्तु भारत में अभी तक पुरुष एवं महिला पुलिस –जन इस छवि का निर्माण करने न असमर्थ रहे है। आजादी के बाद राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने जिस पुलिस अधिनियन का रूप तयार किया था. उसकी धारा 43 में इस संदर्भ में निम्न प्रावधान रख गये थी शब्द से इन्हीं गुणों से योग्य व्यक्तित्व की छवि उभरती व्यवस्था, नियमित गश्त और अन्य पुलिस कर्तव्यों को इस प्रकार पूर्ण करेगा कि उससे अपराध घटित न हो और अपराधियों को ऐसा कोई मौका न मिल सके।

1. कानून व्यवस्था बनाये रखेगा।
2. अपराधों की विवेचना करेगा और जहां आवश्यक होगा वहां अपराधी की गिरफ्तारी करके न्यायिक कार्यवाही में भाग लेगा।
3. ऐसी परिस्थितियों में समस्याओं को स्वविवेक में पहचानेगा जिनसे अपराध घटित होने की संभावना हो।
4. नियमित गश्त और अन्य पुलिस कर्तव्यों को इस प्रकार पूर्ण करेगा कि उसमें अपराध घटित न हो और अपराधियों का ऐसा कोइ मौका न मिल सके।
5. अपराध रोकने के लिये राज्य की दूसरी संस्थाओं से गहन सहयोग करेगा।
6. प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसे शारीरिक क्षति पहुंचने की संभावना हो, सहायता करेगा।
7. समाज में सुरक्षा की भावना पैदा करेगा।
8. व्यक्ति और वाहनों के सुचारू आवागमन की व्यवस्था करेगा।
9. झगड़ों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाकर सहानुभूतिपूर्वक उन्हें निपटायेगा।
10. दुख और कष्ट के समय प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक सहयोग और सेवा प्रदान करेगा।
11. आर्थिक, सामाजिक, सुरक्षात्मक और राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करने वाले सभी सूचनाओं को एकत्रित करेगा।
12. कानून द्वारा सौंपी गई जबावदारियों को पूर्ण निष्ठा से निभायेगा।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 5, June 2023

इस पुलिस अधिनियम के नियम 44 में पुलिस और जनता के प्रति व्यवहार को दृष्टिगत रखते हुए जो कर्तव्य बताये गये हैं उसके अनुसार संज्ञेय अपराध का पंजीकरण, राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करना, ऐसे प्रत्येक कार्य को रोकना जिससे आम नागरिक को खतरा उत्पन्न हो, नवयुवकों द्वारा खतरनाक और लापरवाही पूर्ण ढंग से वाहन चालन पर प्रतिबंध लगाना, गरीब, अपंग और बालकों से अच्छा व्यवहार करना, महिलाओं को उनके शारीरिक शोषण से सुरक्षित रखना तथा दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को कानूनी बाधाओं से दूर रखते हुए तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना आदि दें। सामान्य जनता यह मानती है कि पुलिस में अनेक बुराईयां भरी हैं। एक प्रजातात्रिक देश में महिला पुलिस की छवि उसकी भूमिका और आधुनिक समाज के संदर्भ में उसके क्या कर्तव्य आदि कुछ प्रश्न हैं, जो आज प्रत्येक विचारशील व्यक्ति के मन में उनरत है। इस शोध में पुलिस के प्रति समाज की अभिवृत्तियों के सम्बन्ध में साक्षात्कार द्वारा जनता का अभिमत निम्न 12 प्रश्नों के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया है।

1. .पुलिस की छवि के संबंध में दृष्टिकोण –
2. पुलिस का व्यवहार जनता के प्रति कठोर रहता है?
3. पुलिस की भूमिका निष्पक्ष रहती है? के दौरान पुलिस जनता को परेशान करती है? वर्ग का समर्थन करती है?
4. वर्ग के साथ पुलिस का व्यवहार अच्छा नहीं महिलाओं एवं बच्चों के प्रति व्यवहार कठोर रहता है?
5. पुलिस का दृष्टिकोण आधुनिक नहीं है?
6. पुलिस जनता के साथ शिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करती है?
7. पीड़ित द्वारा अपराध की सूचना दिये जाने के समय पुलिस का व्यवहार शिकायतों की जांच शीघ्रता से नहीं करती?
8. अभिरक्षा में महिला पुलिस लोगों का उत्पीड़न करती है?

तालिका क्रमांक 2

पुलिस की छवि के सम्बन्ध में दृष्टिकोण

क्रमांक	उत्तरदाता	उत्तरदाताओं की संख्या	पुलिस की छवि के सम्बन्ध में दृष्टिकोण				
			अच्छा	संतोषजनक	खराब	बहुत खराब	पता नहीं
1.	अध्यापक	30	14	4	9	3	–.
2.	अधिवक्ता	30	15	5	9	1	–
3.	चिकित्सक	30	15	9	5	1	–
4.	पत्रकार	30	14	8	6	2	–
5.	छात्र	30	16	7	5	1	1
6.	जनप्रतिधि	30	14	4	9	2	1
7.	व्यवसायी	30	15	5	8	1	1
8.	कृषक	30	15	8	5	1	1
9.	पंचायतकर्मी	30	14	8	5	2	1
10	श्रमिक	30	14	7	6	2	1
	योग	300	146	65	67	16	6
	प्रतिशत		48.67	21.67	22.33	5.33	2

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 5, June 2023

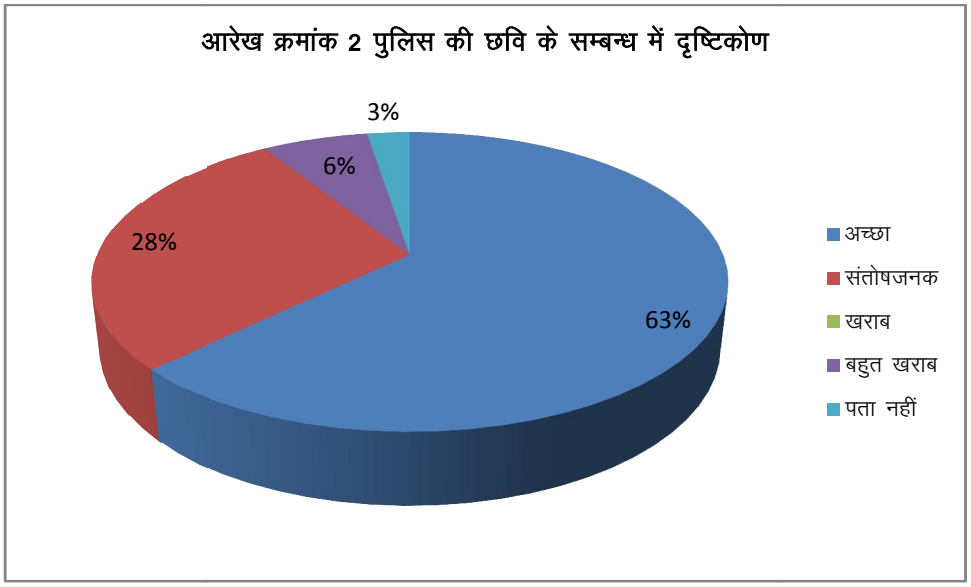

इस शोध अध्ययन के दौरान सामान्यजन से पुलिस की छवि के सम्बन्ध में जानने का प्रयास किया गया। साक्षात्कार के दौरान 48.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पुलिस की छवि को अच्छी तथा 21.67 प्रतिशत ने सन्तोषजनक बताया है। 22.33 प्रतिशत लोग पुलिस की छवि को खराब तथा 5.33 प्रतिशत उत्तरदाता अत्यन्त पुलिस की छवि के प्रति अनभिज्ञता जाहिर की।
निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि पुलिस की छवि के प्रति लोगों का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में छवि का 48.67 प्रतिशत अच्छी मानी जा सकती है, इस प्रकार से कह सकते हैं कि समाज में पुलिस के प्रति अच्छा व्यवहार कायम है।

संदर्भ स्रोत :–

[1]. Productve method in research cormell F G and Munroe walter S page 29 to 34

[2]. यंग श्रीमती पी.बी. समाजशास्त्रीय सर्वेक्षण एवं शोध की प्रविधियां तथा पद्धतियां –डां गोयल बद्रिका प्रसाद पृ. 164

[3]. मोहर–सामाजिक सर्वेक्षण और अनुसंधान के मूल तत्व सत्यपाल सहेला पृ 237